<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

<u>29.11.2024</u>

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), सूरत उप-आंचलिक कार्यालय ने हरीश उर्फ कमलेश जरीवाला और अन्य द्वारा की गई अवैध सट्टेबाजी गतिविधियों के एक मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत **1.84 करोड़** रुपये मूल्य की चल संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। कुर्क की गई संपत्तियां मेसर्स मैत्री एंटरप्राइजेज और मेसर्स वीसी मेटल्स प्राइवेट लिमिटेड के मालिक राजेश लखानी के नाम पर हैं।

ईडी ने डीसीबी, सूरत द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की, जिसमें आरोप लगाया गया था कि आरोपी हरीश उर्फ कमलेश जरीवाला ने रुशिकेश अधिकार शिंदे और हुजेफा कौसर मासकरवाला के साथ आपराधिक साजिश रची थी और विभिन्न व्यक्तियों के पहचान दस्तावेज प्राप्त किए थे, उनके नाम पर किराए के समझौते तैयार किए थे, ऐसे समझौतों में दुकान मालिकों के जाली हस्ताक्षर किए थे, नकली फर्मों के लिए लाइसेंस प्राप्त करने के लिए पहचान दस्तावेजों का दुरुपयोग किया था और विभिन्न बैंकों में नकली बैंक खाते खोले थे।

ईडी की जांच में पता चला है कि इन डमी खातों का इस्तेमाल अवैध सट्टेबाजी ऐप सीबीटीएफ247.कॉम और टी20 एक्सचेंज.कॉम से प्राप्त धन को स्थानांतरित करने के उद्देश्य से किया गया था। इससे पहले, उक्त मामले में तलाशी ली गई थी और 92 बैंक खातों में उपलब्ध **5.67 करोड़ रुपये** की शेष राशि पहले ही फ्रीज और जब्त कर ली गई थी। इस संबंध में एक अभियोजन शिकायत पहले ही 25.10.2024 को माननीय पीएमएलए कोर्ट, अहमदाबाद के समक्ष दायर की जा चुकी थी।

ईडी की जांच के दौरान, अपराध की आय (पीओसी) यानी इन सट्टेबाजी ऐप के जरिए अर्जित धन का पता लगाया गया और पाया गया कि सट्टेबाजी और अन्य आपराधिक गतिविधियों से उत्पन्न धन को रूट करने और लेयरिंग के लिए विभिन्न काल्पनिक संस्थाओं के नाम पर ये डमी बैंक खाते खोले गए हैं।

जांच से यह भी पता चला कि मेसर्स मैत्री एंटरप्राइजेज और मेसर्स वीसी मेटल्स प्राइवेट लिमिटेड के मालिक राजेश लखानी लिमिटेड को इनमें से एक डमी बैंक खाते से पीओसी प्राप्त हुआ था।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।